

आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 76/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आई सी आई सी आई बैंक लि. तृतीय तल, जे एस ई एल बिल्डिंग, मालवीय नगर, जयपुर ।  
प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री मोहम्मद अकिल
2. श्रीमती फरहत जहां
3. मोहम्मद सलमान
4. मोहम्मद साकिब

(1) पता- 2124, पुरानी सब्जी मण्डी, जोहरी बाजार, जयपुर,

(2) प्लॉट नम्बर 45 ए, केशव नगर सिविल लाईन्स जयपुर एवं

(3) मैसर्स होटल जैम प्लाजा-11-12 फतेहसिंह मार्केट, राजपूताना शौरेटन के सामने, रेल्वे स्टेशन जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:-

1. श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय बैंक की ओर से ।



आदेश

दिनांक 09.11.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.02.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री मोहम्मद अकिल, श्रीमती फरहत जहां, श्री मोहम्मद सलमान एवं श्री मोहम्मद साकिब के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 45 ए, केशव नगर सिविल लाईन्स जयपुर क्षेत्रफल 216.66 वर्गगज को बन्धक रख कर 1,41,50,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.07.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा

तोही  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास 2 बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी श्री मोहम्मद शाकिब उपस्थित ने उपस्थित होकर जबाब हेतु अवसर चाहा।
3. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार करते हुये बकाया राशि जमा कराने हेतु अवसर चाहा है। सरफेशी अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारित किये जाने का प्रावधान है। इसलिए अधिक समय नहीं दिया जा सकता।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 1,41,50,000/- रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय. ब्याज कुल राशि 1,47,18,988/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 18.07.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री मोहम्मद अकिल, श्रीमती फरहत जहां, श्री मोहम्मद सलमान एवं श्री मोहम्मद शाकिब के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 45 ए, केशव नगर सिविल लाईन्स जयपुर क्षेत्रफल 216.66 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
8. आदेश आज दिनांक 09.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।



09/11/21  
(अन्तर सिंह नेहरो)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर